

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मदनलाल

बनाम

बरीचन्द

128 CR Act

कार्यवाही अन्तर्गत

प्राचीन पत्र

48

सन् 2021

किस्म मुकदमा

नं.

2021/103

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

30.5
2021

पत्रपत्नी प्रशासन गांवों के संग अभिप्राय 2021 के जो लोकरुप शिबिर मुठ जालमपुरा पर गिल्लारण हेतु साई जाने पर पेश हुई (अ.प्राची द्वारा रिक्वा 0915/2022 को प्राचीन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधवा संख्या 8 के विन्दु कोई कामवाही नहीं चलाई है। अतः विधवा संख्या 8 का नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान कर्तव्य प्राचीन पत्र प्राची स्वीकार किया जाकर विधवा संख्या 8 का नाम प्रकल्प के अन्तर्गत से तर्क किए जाने का आदेश रिक्त जा रहा है। प्राची ग्राम प्रशासन लिखित आदेश संख्या 1087, 1088 की पत्थरगढी करारों पर है। अलोक नरमल जमावर्दी अमुदा 357 आदेशों के प्राची के नाम पर खतेदारी एक से रजि रेकार्ड है। अतः प्राची को प्राचीन पत्र धारा 128 प्रकल्प स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रशासन लिखित आ. संख्या 1087, 1088 की संख्या 0.5100 हे. भूमि की बिना किसी के कलजे से दखलान्दाजी किए एटलमेंट नम्बरे अमुदा पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 500=00 अक्षरे पान्च हो खर्च प्राची वहन करेगा। प्रशासन लिखित आदेशों के लिए प्रकल्प जति कि प्रकल्पों को लिखित हु चला दिए पत्थरगढी की जति एक पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रपत्नी के संग भूमि प्रकल्प नम्बर से कम है।

2021
103



(श्याम सुन्दर विश्वा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)